अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय / अनुदानित / निजी क्षेत्र / पीपीपी मोड की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2025 / 3780 **लखनऊः दिनांकः** 30.09.2025

विषयः वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025–26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु डाटा परिषद से अग्रसारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, परिषद कार्यालय के पत्र सं0ः प्राशिप / परिषद / 2025 / 3426, दिनांकः 16–09–2025 **(छायप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी क्षेत्र एवं पीपीपी मोड की संस्थाऐं समाज कल्याण अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी समय–सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति 2025–26 की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत संपादित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उपरोक्त के क्रम में प्रदत्त निर्देशों का अनुसरण करते हुए निम्न अभिलेखों को परिषद कार्यालय के परिषद अनुभाग में दिनांकः 20.10.2025 तक जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि परिषद स्तर से मास्टर डाटा अग्रसारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

1. छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल से डाउनलोडेड मास्टर डेटा लॉक संबंधी प्रमाण–पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
2. परिषद द्वारा निर्गत विगत 03 वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) के सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
3. विगत 03 वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) का AICTE/PCI/COA अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
4. संस्था को AISHE द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
5. यू–राईज पोर्टल पर अपलोडेड छात्रवृत्ति विवरण का प्रिंटआउट।

उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र / छात्रा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य / निदेशक / प्रबंधन का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0ः प्राशिप / परिषद / 2025 / 3781-83 **तद्दिनांकः** 30.09.2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र/पीपीपी मोड की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2025/ 3426 **लखनऊः दिनांकः** 16-09-2025

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत् उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्त एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु मास्टर डाटा को लॉक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप/परिषद/2025/2929, दिनांकः 08-08-2025 **(छायप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी क्षेत्र एवं पीपीपी मोड की संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि समाज कल्याण अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति 2025-26 की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत संपादित कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा को लॉक करते समय मास्टर डाटा को अत्यन्त सावधानीपूर्वक तथा त्रुटिहीन लॉक किया जाना है। मास्टर डाटा को लॉक करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेषतः ध्यान रखा जाए, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

1. **समस्त राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 मोड संस्थाऐं** सत्र 2025-26 हेतु जारी प्रवेश क्षमता निर्धारण संबंधी शासनादेशों तथा ए0आई0सी0टी0ई द्वारा निर्गत अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार पत्र के अनुरूप अनुमोदित पाठ्यक्रम का चयन करेंगी।
2. **निजी क्षेत्र की संस्थाऐं** परिषद कार्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र तथा ए0आई0सी0टी0ई0 /पी0सी0आई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार पत्र के अनुरूप अनुमोदित पाठ्यक्रम का चयन करेंगी।
3. समस्त संस्थाऐं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस (Non Refundable As Per Govt. Rule) भरना सुनिश्चित करेंगी।
4. समस्त संस्थाऐं पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित सीटों की प्रविष्टि EWS कोटा एवं Lateral Entry (यदि लागू हो) सहित करना सुनिश्चित करेंगी।
5. छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर परिषद द्वारा निर्गत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं पठ्नीय प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।

   साथ ही समस्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक उपरोक्त विवरण की पुष्टि भी स्वयं के स्तर से करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक /प्रबंधन का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2025/ 3427-29 **तद्दिनांकः** 16-09-2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,

प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,

परिषद से सम्बद्ध समस्त,

राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र/पी.पी.पी. मोड संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2025/2929 लखनऊः दिनांकः 08-08-2025

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 115/2025/ 1370/26-3-2025-1741061, लखनऊःदिनांकः 10 जून, 2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी निर्गत की गई है।

उक्त के अनुक्रम में उपरोक्त शासनादेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासनादेश का भलीभांति अवलोकन करते हुए प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की स्थिति में यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2025/2930 तद्दिनांकः 08-08-2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

Digitally signed by
AJIT KUMAR MISHRA
Date: 08-08-2025
15:58:15

File No. BTEUP-PARS0SCLS/1/2024-PRSH-BTEUP (Computer No. 119252)

संख्या-115 /2025/1370/26-3-2025-1741061

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-778-81/स0क0/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 20.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में (राजकीय/ अनुदानित शिक्षण संस्थानों के केवल सामान्य वर्ग के छात्र) संचालित शिक्षण संस्थाओं (उच्च कक्षाओं) द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश (सामान्य वर्ग) में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

AD(Sch.)
& dy
10.06.2025
DD

2	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u> प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	08 जुलाई, 2025 से 05 दिसम्बर, 2025 तक
3	<u>मास्टर डाटा का सत्यापन</u> समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के अन्दर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक किया जायेगा। राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लॉक की गयी फीस की सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक करना।	09 जुलाई, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक
4	<u>अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना</u> मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	10 जुलाई, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
5	<u>छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन</u>	10 जुलाई, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक
6	<u>छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना</u> छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन फाइनल सब्मिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 23 दिसम्बर, 2025 तक
7	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में <u>जमा किया जाना</u>** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	24 दिसम्बर, 2025 तक
8	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं <u>अग्रसारित करना</u>** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
	प्रथम चरण	
9	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं <u>अग्रसारित करना</u>** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक

10	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u> सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर, 2025 तक
11	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक
12	<u>जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	23 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
13	<u>मांग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	15 जनवरी, 2026 तक
14	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	24 जनवरी, 2026 तक
	द्वितीय चरण	
15	<u>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
16	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u> सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी, 2026 से 24 जनवरी, 2026 तक
17	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	12 जनवरी, 2026 से 22 जनवरी, 2026 तक

18	<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	23 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक
19	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना** शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक
20	<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u> छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	02 फरवरी, 2026 से 12 फरवरी, 2026 तक
21	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	08 मार्च, 2026 तक
22	<u>मांग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	12 मार्च, 2026 तक
23	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मेप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	16 मार्च, 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।

2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/ प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।

उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लागिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।

4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।

6- विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

7- किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अग्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MANOJ KUMAR SINGH
Date: 09-06-2025
16:57:19

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
RAJENDRA SINGH
Date: 10-06-2025
12:04:06

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक- /स०क०/शिक्षा-अ/9/03/2025-26

लखनऊ दिनांक जून, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3

2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश ।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

7- वित्त नियत्रंक, मुख्यालय ।

8- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।

9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 10-06-2025 द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, आटोनॉमस राजकीय शिक्षण संस्थान, समस्त निजी शिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों में व पैम्पलेट के माध्यम से समय-सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा समय-सारिणी की प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित कार्यवाही हेतु बैठक भी आयोजित करायें ।

Digitally signed by
KUMAR PRASHANT
Date: 12-06-2025
14:31:14 (कुमार प्रशान्त)
निदेशक